



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032023-244467
CG-DL-E-18032023-244467

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1220]
No. 1220]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 17, 2023/फाल्गुन 26, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 17, 2023/PHALGUNA 26, 1944

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2023

का.आ. 1269(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 396 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक त्वरित कारपोरेट समापन प्रसंस्करण केंद्र (जिसे इसमें इसके पश्चात सी-पेस कहा गया है) की स्थापना करती है।

2. सी-पेस भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट सं. 6,7,8 सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर, जिला गुरुग्राम (हरियाणा), पिन कोड- 122050 में अवस्थित होगा।

3. यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2023 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. ए-42/21/2022-प्रशा.II-एमसीए]

अनुराधा ठाकुर, अपर सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th March, 2023

S.O. 1269(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 396 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) (hereinafter referred to as the Act), the Central Government hereby establishes a Centre for Processing Accelerated Corporate Exit (hereinafter referred to as C-PACE).

2. The C-PACE shall be located at the Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6, 7, 8, Sector 5, IMT Manesar, District Gurgaon (Haryana), Pin Code – 122050.

3. This notification shall come into force with effect from the 01st day of April, 2023.

[F. No. A-42/21/2022-Ad.II-MCA]

ANURADHA THAKUR, Addl. Secy.